(2019) 11 एस.सी.आर 693

मेसर्स बलवंत सिंह एवं संस
विरुद्ध
राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड एवं अन्य
(सिविल अपील क्रमांक 5998/2019)

31 जुलाई, 2019

[न्यायमूर्ति डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड एवं इंदिरा बेनर्जी]

मोटरवाहन अधिनियम, 1988 धारा 50, 157– बीमा प्रमाण पत्र का अंतरण– तथ्य के आधार पर, अपीलार्थी ने नीलामी में वाहन खरीदा– बीमाकर्ता द्वारा अपीलार्थी से बीमा प्रीमियम प्राप्त किया गया– वाहन बीमापॉलिसी में प्रत्यर्थी का नाम बीमाकृत के रुप में जारी रहा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र तब तक अंतरित नही हआ– इसके पश्चात, वाहन चोरी की वजह से वाहन का नुकसान– बीमाकर्ता द्वारा बीमा दावा खारिज– उपभोक्ता शिकायत– उपभोक्ता मंच द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि बीमाकर्ता वाहन के नुकसान दावा हेतु उत्तरदायी नहीं है– अपील में अभिनिर्धारित किया गयाः प्रीमियम की प्राप्ति स्वीकृति थी क्योकि पॉलिसी दस्तावेज जारी किया गया– वाहन के अंतरण के बाद, बीमाकर्ता को विशेष रुप से उस बैंक द्वारा, दृष्टिबंधक करार समाप्ति के बाद धारणाधिकार को उठाने के बारे सूचित किया गया था, जिसके पास बीमापॉलिसी पर धारणाधिकार था,– इसके बाद, बीमाकर्ता ने बीमा पॉलिसी जारी की– इसके अलावा, तृतीय प्रत्यर्थी ने वाहन के नुकसान के संबंध में कोई दावा नही किया क्योकि वाहन को बैंक द्वारा पहले ही पुनः कब्जा कर बकाया भुगतान के अभाव मे विक्रय कर दिया गया था– इसके अलावा, वाहन का नुकसान नीलामी खरीद की तारीख के लगभग हुआ था– इस प्रकार अपीलार्थी के दावे को बीमाकर्ता यह कहकर अस्वीकार नही कर सकता है कि उसका दायित्व तृतीय प्रत्यर्थी के प्रति है जिसका वाहन के स्वामित्व में कोई स्थायी हित नही है और बीमाकृत व्यक्ति का दावा स्वीकार किया गया ।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

1.1 मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 50 यह प्रावधान करती है कि जहां अध्याय 4 के तहत किसी भी रजिस्ट्रीकृत मोटरवाहन का स्वामित्व अंतरित किया जाता है वहां कुछ औपचारिकतओ को पूरा करना होता है। औपचारिकतओं में यह आवश्यक है कि अंतरक को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। अंतरक को रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, जिसकी अधिकारिता के भीतर वह अंतरण किया जाना है तथा उसी समय उक्त रिपोर्ट की एक प्रति अंतरिती को भेजना होता है। अंतरिती को उस अंतरण की रिपोर्ट को उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देना होती है जिसकी अधिकारिता के भीतर, यथास्थिति, उसका निवास स्थान या कारबार का स्थान है जहां वाहन सामान्तया रखा जाता है अंतरिति को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के साथ विहित फीस तथा उसके द्वारा अंतरक से प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति के साथ उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा जिससे स्वामित्व के अंतरण की विशिष्टियां रजिस्टीकरण प्रमाण पत्र में प्रविष्टि की जा सके। [पैरा–13] [700–बी–डी]

1.2 धारा 157 के परिणामस्वरुप जहां किसी व्यक्ति के पक्ष में शर्तो के अधीन बीमा प्रमाण पत्र जारी किया गया है जो कि अध्याय XI के प्रावधान के अंतर्गत जारी किया गया है वहां किसी अन्य व्यक्ति को वाहन के स्वामित्व के

अंतरण किया गया है, बीमा प्रमाण पत्र और पॉलिसी ऐसे नए स्वामी जिसको मोटरयान अंतरित किया जाता है, के पक्ष में उसके स्थानांतरण की तारीख से अंतरित समझी जाएगी [पैरा–17] [702–ई–एफ]

हस्तगत मामले मे, न केवल प्रीमियम प्राप्ति की स्वीकृति थी बल्कि पॉलिसी दस्तावेज भी जारी किया गया था। बीमाकर्ता को वाहन के अंतरण की जानकारी थी क्योकि बैंक ने उसे धारणाधिकार उठाने की सूचना दी थी हस्तगत मामले में न्यायालय एक ऐसी स्थिति से सामना कर रहा है जहां वाहन के अंतरण के बाद बीमाकर्ता को बैंक द्वारा विशेष रुप से इस बात की सूचना दी गयी थी कि बीमापॉलिसी पर धारणाधिकार को वे द्रिष्टिवंधक समझौते की समाप्ति के बाद हटा रहे है जिसके बाद बीमापॉलिसी बीमाकर्ता के पक्ष में जारी की गयी। स्वीकृत रुप से अपीलार्थी द्वारा प्रीमियम राशि का भुगतान किया गया था तृतीय प्रत्यर्थी ने वाहन के नुकसान के संबंध में कोई दावा नही किया था क्योकि वाहन को पहले भी बैंक द्वारा भुगतान के आभाव में पुनः कब्जा कर विक्रय कर दिया गया था बीमाकर्ता अपीलार्थी के दावे को यह कहकर इंकार नही कर सकता कि उसका दायित्व तृतीय प्रत्यर्थी की ओर है, जिसका कि वाहन के स्वत्व पर कोई विद्यमान हित नही है । अपीलार्थी ने तृतीय प्रत्यर्थी के आदेश पर किसी भी दावे के खिलाफ क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायित्य उठाया है। वाहन के अंतरण पर कोई विवाद नही हैं। [पैरा–25–27][706–एफ–एच;707–ए]

1.4 बीमाकर्ता ने बीमादावे को अस्वीकार करने का ऐसा आधार अपनाया जो कि पोषणीय नही था। वाहन का नुकसान हुआ नीलामी खरीद की तारीख के नजदीक कुल दावा राशि 2,42,000 रुपए की राशि स्वीकृत की जाती है। जिस पर अपीलार्थी 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज का हकदार होगा जो कि दावा दायर करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक देय होगा।[पैरा–28][707 बी]

भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम राजा वासीरेड्डी कोमलवल्ली कम्बा **1984 एसीजे** 345; कम्प्लीट इंसुलेशन लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **(1996) 1 एससीसी** 221: [1995] 5 **पूरक एससीआर** 500; प्रकाशचंद डागा बनाम सेविता शर्मा **(2019) 1 स्केल** 2; नवीन कुमार बनाम विजय कुमार **(2018) 3 एससीसी** 1: [2018] 2 **एससीअार** 572; टीवी जोस बनाम चाको पीएम [2001] 8 **एससीसी** 748: (2001) 3 **पूरक एससीआर** 366; पीपी मोहम्मद बनाम के. राजप्पन **(2008) 17 एससीसी** 624; पुष्पा बनाम शंकुतला **(2011) 2 एससीसी** 240: [2011] 1 **एससीआर** 334– **संदर्भित।**

केस कानून संदर्भ

1984 एसीजे 345	संदर्भ	पैरा–10
[1995] 5 पूरक एससीआर 500	संदर्भ	पैरा–10
(2019) 1 एससीएएलई 2	संदर्भ	पैरा–10
[2018] 2 एससीआर 572	संदर्भ	पैरा–10
[2001] 3 पूरक एससीआर 366	संदर्भ	पैरा–19
(2008) 17 एससीसी 624	संदर्भ	पैरा–19
[2011] 1 एससी 334	संदर्भ	पैरा–19

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 5998/2019

निर्णय एवं आदेश दिनांक 11–03–2014 राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नई दिल्ली की पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 2809/2013 से उदभूत।

अपीलार्थीगण की ओर से रोहित शर्मा, रौनक नायक, अतुल अग्रवाल, अंशुल चौधरी, कुमार दुष्यंत सिंह अधिवक्तागण उपस्थित ।

प्रत्यर्थीगण की ओर से श्रीमती ननीता शर्मा, विवेक शर्मा, अमरदीप शर्मा, बजरंग लाल जाट अधिवक्तागण उपस्थित ।

न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड द्वारा निर्णय दिया गया

1.अनुमोदन स्वीकृत।

2.वर्तमान अपील, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग[1] के, दिनांक 11 मार्च 2014 के निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर निर्णय दिया गया था। एनसीडीआरसी ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम[2], जालंधर और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग[3], चंडीगढ, के दृष्टिकोण को बरकरार रखा कि बीमाकर्ता, चोरी के कारण वाहन के नुकसान के लिए बीमा पॉलिसी के तहत प्रस्तुत दावे पर उत्तरदायी नही था।

3.तृतीय प्रत्यर्थी, ने एक वाहन के संबंध में दूसरे प्रत्यर्थी से अपनी जालंधर स्थित शाखा के माध्यम से आईसीआईसीआई बैंक[4] के साथ, एक किराया खरीद समझौता निष्पादित किया।समझौते की शर्त अनुसार, तृतीय प्रत्यर्थी ने कुछ किश्तों का भुगतान किया, लेकिन फिर चूक कर दी, जिसके बाद बैंक ने वाहन का कब्जा ले लिया। वाहन को दिनांक 31 मार्च 2006 को नीलामी के लिए रखा गया था और अपीलार्थी द्वारा 2,42,000 के प्रतिफल के बदले वाहन क्रय किया गया था। बयाना राशि के रुप में 5,000 रुपये की राशि के भुगतान के अलावा, अपीलार्थी ने शेष राशि का भुगतान दिनांक 31 मार्च 2006 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर पर आहरित चैक द्वारा किया गया। वाहन के कब्जा प्रमाण पत्र सहित, चैक भुगतान उपरांत, 7 अप्रैल 2006 को वाहन का कब्जा अपीलार्थी को सौप दिया गया था। बैंक ने, वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र, से दृष्टिबंधक की प्रविष्टि को रद्द करने के लिए, वाहन का बीमा करने वाले प्रथम प्रत्यर्थी को 19 अप्रैल 2006 को एक पत्र जारी किया। 22 मई 2006 को, अपीलार्थी ने, 6,999, प्रीमियम राशि भुगतान कर 3,28,100 रुपये की राशि में प्रथम प्रत्यर्थी के माध्यम से वाहन का बीमा करवाया गया। प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा एक बीमा पॉलिसी जारी की गयी थी। बीमा पॉलिसी में बीमाधारक के रुप में तृतीय प्रत्यर्थी का नाम दर्शाया गया था, लेकिन महत्वपूर्ण रुप से बीमा पॉलिसी दस्तावेज के पता अनुभाग में, अपीलार्थी के नाम के साथ व्यवसायिक पते का उल्लेख था।

4.अपीलार्थी के अनुसार, बीमाकर्ता द्वारा उससे बीमा प्रीमियम राशि प्राप्त की गयी थी, लेकिन पंजीकरण प्रमाण पत्र अभी तक अंतरित किया जाना शेष था, इसलिए बीमा पॉलिसी में बीमाधारक के रुप में तृतीय प्रत्यर्थी का नाम प्रतिबिंबित चला आ रहा है।

5.अपीलार्थी ने आवेदन किया और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण से छूट का प्रमाण पत्र प्राप्त किया ताकि पंजीकरण पत्र को उसके नाम पर अंतरित करने की सुविधा मिल सके। छूट का प्रमाण पत्र इस आधार पर था कि वाहन को रुट परमिट प्राप्त करने से छूट दी गयी थी।

6.वाहन 13 और 14 जून 2006 की मध्यरात्रि को चोरी हो गया था। अपीलार्थी ने 14 जून 2006 को घटना के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई और प्रथम प्रत्यर्थी को 4 जुलाई 2006 को सूचित किया गया।

7. दिनांक 12 अक्टूबर 2006 को पुलिस ने इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया कि वाहन का पता नही चल पाया है। 19 अक्टूबर 2006, को अपीलार्थी ने प्रथम प्रत्यर्थी के समक्ष वाहन के नुकसान के लिए दावा दायर किया और पंजीकरण प्रमाण पत्र, एफआईआर और पुलिस प्रमाण पत्र संलग्न किया जिसमें कहा गया कि वाहन का पता नहीं चला था।

8.16 नवंबर 2006 को, प्रथम प्रत्यर्थी ने इस आधार पर दावा खारिज कर दिया कि वाहन का स्वामित्व और बीमा पॉलिसी तृतीय प्रत्यर्थी के नाम पर थी और इस आधार पर कि, वाहन पर बैंक का वित्तीय हित था, दावा खारिज कर दिया। प्रथम प्रत्यर्थी ने अवलंबन लिया कि वाहन का बीमा भी बैंक द्वारा किया गया होगा। दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलार्थी का कोई बीमा योग्य हित नही था। अपीलार्थी ने प्रथम प्रत्यर्थी को 28 नवंबर 2006 को एक पत्र संबोधित किया। हालांकि, 21 मार्च 2007 को बीमाकर्ता द्वारा इस आशय पर दावा खारिज कर दिया था कि अपीलार्थी का कोई बीमा योग्य हित नही था क्योकि पंजीकरण प्रमाणपत्र उसके नाम पर अंतरित नही किया गया था। दावे की अस्वीकृति के कारण उपभोक्ता शिकायत जिला फोरम, जालंधर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। दावा 30 अप्रैल 2008 को खारिज कर दिया गया था। जिला फोरम के आदेश को, राज्य आयोग ने 22 मार्च 2013 को अपील में और एनसीडीआरसी ने 11 मार्च 2014 को पुनरीक्षण में यथावत रखा था।

9.अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित शर्मा ने उपभोक्ता मंच द्वारा लिए गए अभिमत पर आक्षेप करते हुए तर्क दिया कि यह निविर्वादित है कि अपीलार्थी ने बैंक द्वारा की गई एक नीलामी विक्रय में, जो कि मूल स्वामी द्वारा किराया खरीद समझौते के तहत किस्तों के भुगतान में चूक होने के कारण की गयी थी, वाहन को क्रय किया था। नीलामी विक्रय में पूर्ण बोली प्रतिफल प्राप्त होने पर बैंक ने अपीलार्थी को कब्जे का प्रमाण पत्र सौंप दिया। बैंक ने बीमाकर्ता को वाहन के पूर्ववर्ती स्वामी के साथ किए गए बंधक विलेख के आधार पर वाहन पर दावा बंद करने की भी सूचना दी थी। इसके बाद, बीमाकर्ता द्वारा अपीलार्थी से बीमाकवर के लिए प्रीमियम स्वीकार कर लिया गया। यद्धपि बीमा पॉलिसी तृतीय प्रत्यर्थी के नाम पर जारी की गयी थी, लेकिन इसमे अपीलार्थी का नाम दर्शाया गया था और यह बीमाकर्ता को स्पष्ट पता था कि अपीलार्थी ने प्रीमियम का भुगतान किया था और वाहन के स्वामी के रुप में बीमा कवर प्राप्त किया गया था। इन परिस्थितियों में, जब बीमाकर्ता ने अपीलार्थी से प्रीमियम अभिप्राप्त किया तब पॉलिसी पर दावा इनकारी का कोई आधार बिल्कुल नही है। उपरोक्त तर्क के समर्थन में यह भी निवेदित किया कि न्यायालय का निर्णय तृतीय प्रत्यर्थी के संदर्भ में दायित्व को लेकर आधारित है जो कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988[5] के अध्याय XI के प्रावधानों, विशेष रुप से धारा 157 के प्रावधानों के मददेनजर है, जो बिल्कुल प्रथक आधार है। उक्त संदर्भ में, यह माना गया है कि वाहन का पूर्व स्वामी, वाहन के अंतरण के बाद भी बीमाकर्ता के साथ संयुक्त रुप से उत्तरदायी रहेगा, जब तक कि अंतरण वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र में प्रतिबिंबित न हो। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में जहां वाहन की चोरी के कारण हानि या क्षति हुई है, बीमाकर्ता के खिलाफ अंतरिती व्यक्ति के दावे पर इसका कोई प्रभाव नही पड सकता है।

10.दूसरी ओर, उपभोक्ता मंच द्वारा दिए गए अभिमत की सत्यता की पुष्टि करते हुए, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री नैनिता शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी और बीमाकर्ता के बीच कोई संविदा नही है। विदवान अधिवक्ता ने **भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम राजा बासिरेड्डी कोमलावल्ली कम्बा[6]; (ii)कम्प्लीट इंसूलेशन लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड[7]; (iii)प्रकाशचंद डागा बनाम सवेता**

शर्मा[8];(iv) नवीन कुमार बनाम विजय कुमार[9], के न्याय निर्णयन पर अबलंवन लेते हुए इस दलील के समर्थन में निवेदन किया कि जब तक अंतरिती का नाम पंजीकरण प्रमाण पत्र में प्रतिबिंबित नही होता, तब तक बीमा कंपनी उत्तरदायी नही होगी। यह निवेदन किया गया कि वर्तमान मामले में, अपीलार्थी के पास बीमा हित नही है, क्योकि वाहन अभी तक उसके नाम पर अंतरित नही हआ है और परिणामस्वरुप, बीमाकर्ता को यह अधिकार है कि वह पॉलिसी के अधीन दावे से इंकार करें।

11.मूल तथ्य विवादित नही है, जो विवाद है, वह इस प्रकार है।

(i) अपीलार्थी ने बैंक द्वारा आयोजित नीलामी में वाहन खरीदा था, जिनके पास
किराया– खरीद समझौते के अनुसार वाहन को दृष्टिबंधक रखा गया था;
(ii) अपीलार्थी ने बैंक को नीलामी कार्यवाही में पूर्ण विक्रय प्रतिफल का भुगतान कर दिया था;
(iii) बैंक द्वारा अपीलार्थी को कब्जे का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था;
(iv) बैंक ने, बीमाकर्ता को सूचित किया, कि नीलामी ब्रिकी के परिणामस्वरुप वाहन पर,
उसका ग्रहणाधिकार समाप्त हो गया है;
(v) बीमा का प्रस्ताव अपीलार्थी द्वारा बीमाकर्ता को प्रस्तुत किया गया था;
(vi) बीमा कवर के संबंध में प्रीमियम का भुगतान अपीलार्थी द्वारा किया गया था;
(vii) बीमा पॉलिसी, बीमाकर्ता द्वारा तृतीय प्रत्यर्थी के नाम पर जारी की गयी थी, लेकिन इसमें अपीलार्थी का नाम भी स्पष्ट रुप से दर्शाया गया था जिससे स्पष्ट है कि इस पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी का संदर्भ, केवल डाक पते के प्रयोजनों के लिए नही था।

12.अब उक्त पृष्ठभूमि में बीमाकर्ता द्वारा बीमा दावे को अस्वीकार करने के आधार की शुद्धता का निधार्रण करना आवश्यक हो जाता है। वास्तविक रुप से, बीमाकर्ता का तर्क यह है कि जब तक वाहन अंतरण, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र में प्रतिबिंबित नही होता है, बीमाकर्ता उत्तरदायी नही होगा और स्वामित्व पूर्व स्वामी के नाम पर बना रहेगा। इस संदर्भ में मोटरवाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों और बीमाकर्ता द्वारा जिन निर्णय पर अबलंवन किया गया था, उनका विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। धारा 2(30) "स्वामी" को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करती हैः

> "धारा 2(30)– स्वामी" स्वामी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके नाम में मोटरयान रजिस्टर है और जहां ऐसा व्यक्ति अव्यस्क है, वहां उस अव्यस्क का संरक्षक अभिप्रेत है और उस मोटरयान के संबंध में जो दृष्टिबंधक करार या पटटे के करार या आडमान के करार पर लिया गया है, वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका उस यान पर उस करार के अधीन कब्जा है।

13.धारा 50 में प्रावधान है कि जहां अध्याय IV के तहत पंजीकृत किसी मोटरवाहन का स्वामित्व अंतरित किया जाता है, तो कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। औपचारिकतओ के लिए अंतरणकर्ता को उस पंजीकरण प्राधिकारी को अंतरण की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में अंतरण किया जाना है और रिपोर्ट की एक प्रति अंतरिती को भेजनी होगी। अंतरिती को अंतरण की सूचना उस पंजीकरण प्राधिकारी को भी देनी होगी जिसके अधिकार क्षेत्र में वह रहता है या व्यवसाय का स्थान है, जहां वह वाहन सामान्य रूप से रखा जाता है।

14.अंतरिती को पंजीकरण प्रमाणपत्र को निर्धारित शुल्क और अंतरणकर्ता से प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति के साथ पंजीकरण प्राधिकारी को अग्रेषित करना होगा ताकि स्वामित्व के अंतरण का विवरण पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज किया जा सके। धारा 50 की उपधारा (1) इस प्रकार प्रावधान करती हैः

"धारा 50 स्वामित्व का अंतरण :– (1) जब इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी मोटररयान का स्वामित्व अंतरित किया जाता है, तब–

(क) अंतरक–

(i) उसी राज्य के भीतर रजिस्ट्रीकृत यान की दशा में अंतरण के चौदह दिन के भीतर अंतरण के तथ्य की रिपोर्ट ऐसे प्ररुप में और ऐसे दस्तावेजों सहित और ऐसी रीति से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा जिसकी अधिकारिता के भीतर वह अंतरण किया जाने वाला है और उसी समय उक्त रिपोर्ट की एक प्रति अंतरिती को भेजेगा; और

(ii) राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत यान की दशा में, अंतरण के पैतालिस दिन के भीतर, उपखंड (1) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को–

(क) धारा 48 के अधीन प्राप्त आक्षेप न होने का प्रमाणपत्र भेजेगा; या

(ख) ऐसे मामले में, जहां ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त नही किया गया है, –

(I) धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रसीद; या

(II) यदि उसने धारा 48 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को इस निमित्त आवेदन रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा है तो अंतरक द्वारा प्राप्त डाक रसीद भेजेगा, जिसके साथ यह घोषणा होगी कि उसे ऐसे प्राधिकारी से ऐसी कोई संसूचना प्राप्त नही हुई है जिसमें ऐसा प्रमाणपत्र दिए जाने से इंकार किया गया है या ऐसे निर्देश का पालन करने की उससे अपेक्षा की गयी है जिसके अधीन ऐसा प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा;

(ख) अंतरिती उस अंतरण की रिपोर्ट अंतरण के तीस दिन के अंदर उस रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी को देगा जिसकी अधिकारिता के भीतर, यथास्थिति, उसका निवासस्थान या कारबार का स्थान है जहां यान सामान्यतया रखा जाता है और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र विहित फीस तथा उसके द्वारा अंतरक से प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति के साथ उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा जिससे स्वामित्व के अंतरण की विशिष्टियां रजिस्ट्री–करण प्रमाणपत्र में प्रविष्टि की जा सकें।

15.धारा 50 की उपधारा(3) निम्नलिखित शर्तो में उपधारा (1) के तहत दायित्व को पूरा करने में विफलता का परिणाम का प्रावधान करती हैः–

"(3) यदि अंतरक या अंतरिती रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण के तथ्य की रिपोर्ट, यथास्थिति, उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करने में असफल रहता है, या यदि वह व्यक्ति जिससे उपधारा(2) के अधीन आवेदन करने की अपेक्षा की जाती है (जिसे इस धारा में इसके पश्चात अन्य व्यक्ति कहा गया है) विहित अवधि के भीतर ऐसा आवेदन करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यथास्थिति, अंतरक या अंतरिती या अन्य व्यक्ति से ऐसी कार्यवाही के बदले में जो धारा 177 के अधीन उसके विरुद्ध की जाए, एक सौ रुपए से अनधिक उतनी रकम का, जो उपधारा(5) के अधीन विहित की जाए, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा:

परंतु धारा 177 के अधीन कोई कार्यवाही, यथास्थिति, अंतरक या अंतरिती या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध वहां की जाएगी, जहां वह उक्त रकम कर संदाय करने में असफल रहता है।

16.अध्याय XI तृतीय पक्ष के जोखिमों के विरुद्ध मोटरवाहन के बीमा का प्रावधान करता है। धारा 146 किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन के उपयोग पर रोक लगाती है जब तक कि इसके उपयोग के संबंध में अध्याय की आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाली बीमा पॉलिसी लागू न हो। धारा 147 ऐसी पॉलिसी की आवश्यकताओं और दायित्व की सीमओं को निर्दिष्ट करती है। धारा 149 तृतीय पक्ष के जोखिमों के विरुद्ध बीमाकृत व्यक्तियों के विरुद्ध निर्णय और पंचाटो को तुष्ट करने के लिए बीमाकर्ता पर कर्तव्य लगाती है। धारा 157 बीमा प्रमाण पत्र के अंतरण से संबंधित हैः–

> "157. बीमा प्रमाणपत्र का अंतरण– (1) जहां व्यक्ति जिसके पक्ष में इस अध्याय के उपबंधो के अनुसार बीमा प्रमाणपत्र जारी किया गया है, ऐसे मोटरयान का स्वामित्व, जिसकी बाबत ऐसा बीमा उससे संबंधित बीमा पॉलिसी के साथ अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है, बीमा प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र में वर्णित पॉलिसी ऐसे व्यक्ति, जिसको मोटरयान अंतरित किया जाता है के पक्ष में उसके स्थानांतरण की तारीख से अंतरित की गयी समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण्– शंकओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि ऐसा समझा गया अंतरण उक्त बीमा प्रमाणपत्र और बीमा पॉलिसी के अधिकारों और दायित्वों को सम्मिलित करेगा।

(2)अंतरिती, अंतरण की तारीख से चौदह दिनों के भीतर विहित प्ररुप में बीमाकर्ता को बीमा प्रमाणपत्र और उसके पक्ष में प्रमाणपत्र में वर्णित पॉलिसी में अंतरण के तथ्यों के संबंध में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए आवेदन कर सकेगा और बीमाकर्ता प्रमाणपत्र और बीमा के अंतरण के संबंध में बीमा की पॉलिसी में आवश्यक परिवर्तन करेगा।

17.उपरोक्त प्रावधान के परिणामस्वरुप, जहां एक व्यक्ति, जिसके पक्ष में अध्याय XI के प्रावधानों के अनुसार बीमा प्रमाणपत्र जारी किया गया है, वाहन का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति केो अंतरित करता है, बीमा प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र में वर्णित पॉलिसी उसके अंतरण की तारीख से प्रभावी रुप से, नए स्वामी जिसके पक्ष में अंतरित किया गया माना जावेगा, जिसे मोटर वाहन अंतरित किया गया है।

18.उपरोक्त प्रावधान इस न्यायालय के कई निर्णय का विषय रहे है। **कंप्लीट इंसुलेशन (पी) लिमिटेड** (उपरोक्त) में, 1 जुलाई 1989 को मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के लागू होने से पहले बीमा प्रमाणपत्र के अंतरण के लिए बीमाकर्ता से अनुरोध किया गया था। वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया लेकिन बीमाकर्ता ने इस आधार पर दावा अस्वीकार कर दिया कि अपीलार्थी का कोई बीमा योग्य हित नही था। दावे को जिला फोरम द्वारा अनुमति दी गयी थी लेकिन निर्णय को एनसीडीआरसी द्वारा रद्द कर दिया गया था।

19. उक्त के संदर्भ में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार निर्णय दियाः

"10.इसमें कोई संदेह नही है कि उक्त अध्याय तृतीय पक्ष के जोखिमों को कवर करने के लिए वाहनों के अनिवार्य बीमा का प्रावधान करता है। धारा 146 सार्वजनिक स्थान पर किसी वाहन के उपयोग पर रोक लगाती है जब तक कि उस वाहन के उपयोग के संबंध में उस अध्याय की आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाली बीमा पॉलिसी लागू न हो। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन दंडात्मक कार्यवाही को आकर्षित कर सकता है। तृतीय पक्ष की संपत्ति के मामलों में तृतीय पक्ष के दंडात्मक कार्यवाही को कबर करती है। संपत्ति के मामलों में कवरेज, तीसरे पक्ष यानी बीमाधारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति तक विस्तारित होता है। यह धारा 147(1)(बी)(आई) से स्पष्ट है, जो स्पष्ट रुप से संदर्भित करता है कि "किसी तृतीय पक्ष की किसी भी संपत्ति को नुकसान" केवल छह हजार रुपये है जैसा कि पहले बताया गया है। यही कारण है कि धारा 165 के तहत गठित दावा न्यायाधिकरण को मोटर वाहनों के उपयोग, से उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों की मृत्यु या शारीरिक क्षति, या किसी तृतीय की संपत्ति को नुकसान या दोनो बाते हुई है, से संबंधित दुर्घटनाओं के संबंध में, मुआवजे के दावे पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र दिया गया है। यहां भी, यह, तृतीय पक्ष की संपत्ति को नुकसान पहुचाने तक ही सीमित है न कि बीमाधारक की संपत्ति को। इस प्रकार, नए अधिनियम का संपूर्ण अध्याय X। केवल तृतीय पक्ष के जोखिमों से संबंधित हैँ इसलिए, यह स्पष्ट है कि **बीमा तृतीय पक्ष के जोखिमों के संबंध में अनिवार्य है क्योकि धारा 146 सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन के उपयोग पर रोक लगाती है जब तक कि उसके संबंध में अध्याय X। की आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाली बीमा पॉलिसी न हो। इस प्रकार, उस अध्याय की आवश्यकता केवल तृतीय पक्ष के जोखिमों के संबंध में है, और इसलिए नए अधिनियम की धारा 157 की कल्पना यहीं तक सीमित होनी चाहिए।** इसलिए निर्धारित फॉर्म में जारी किया जाने वाला बीमा प्रमाण पत्र (केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1989 नियम 141 के तहत निधार्रित फार्म 51) तृतीय पक्ष के जोखिमों से संबंधित होना चाहिए। चूंकि इस संबंध में नए अधिनियम और पुराने अधिनियम के तहत प्रावधान तृतीय पक्ष के दायित्व के संबंध में तात्विक रुप से काफी हद तक सामान है, इसलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा कोंडैया मामले के निर्णय के आधार पर लिया गया दृष्टिकोण सही था क्योकि **विचारधीन वाहन के लिए अंतरिती बीमाकृत व्यक्ति को तृतीय पक्ष नही कहा जा सकता है।** यह केवल तृतीय पक्ष के जोखिमों के संबंध में है, कि नए अधिनियम की धारा 157 में यह प्रावधान है कि बीमा प्रमाणपत्र और उसमें वर्णित बीमा पॉलिसी को उस व्यक्ति के पक्ष में अंतरित माना जाएगा जिसे मोटरवाहन अंतरित किया जाता है। **यदि बीमा की पॉलिसी अन्य जोखिमों को भी कवर करती है, उदाहरण के लिए बीमाधारक के वाहन को हुई क्षति, तो यह नए अधिनियम के आध्याय X। के बाहर और अनुबंध के दायरे में आने वाला मामला होगा जिसके लिए एक समझौता बीमाकर्ता और अंतरिती के बीच होना चाहिए पूर्ववर्ती बीमाकर्ता वाहन के जोखिम या क्षति को कवर करने का बचन देता है। वर्तमान मामले में चूंकि ऐसा कोई समझौता नही था और चूंकि बीमाकर्ता ने बीमा की पॉलिसी को अंतरित व्यक्ति को अंतरित नही किया था, इसलिए बीमाकर्ता वाहन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तरदायी नही था।** इसलिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है।
(जोर दिया गया)

20.इस न्यायालय ने अध्याय X। के प्रावधानों पर विचार किया और स्पष्ट किया कि यह केवल तृतीय पक्ष के जोखिमों से संबंधित है ओर परिणामस्वरुप धारा 157 में निहित परिकल्पना उस उददेश्य के लिए सीमित होनी चाहिए। उपरोक्त उदाहरण इस बात पर जोर देता है कि यदि पॉलिसी अन्य जोखिमों को कवर करती है, तो यह एक ऐसा मामला होगा जो अध्याय X। के बाहर आता है ओर अनुबंध के क्षेत्राधिकार में रहेगा जिसके लिए बीमाकर्ता और अंतरिती के बीच समझौता होना चाहिए। उस मामले में न्यायालय ने माना कि ऐसा कोई समझौता नही था क्योकि बीमाकर्ता ने उसके संबंध में बीमा की पॉलिसी अंतरित नही की थी और इसलिये उसे नुकसान की भरपाई के लिए उत्तरदायी नही माना गया था।

21.निर्णय की एक अन्य पंक्ति विशेष रुप से अध्याय X। में निहित प्रावधानों के संदर्भ में तृतीय पक्ष के दावो को संतुष्ट करने के दायित्व से संबंधित है। **नवीन कुमार (उपरोक्त)** मामलों में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायदृष्टांत **टीवी जोस बनाम चाको पीएम**[10] **पीपी मोहम्मद बनाम के. राजप्पन**[11] **और पुष्पा विरुद्ध शकुंतला**[12] में इस न्यायालय के निर्णयों को संशोधित कर इस प्रकार कहाः

> "13, उपरोक्त निर्णयों से जो सुसंगत तर्क उभरता है वह यह है कि धारा 2(30) में अभिव्यक्ति"स्वामी" की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, यह वह व्यक्ति है जिसके नाम पर मोटरवाहन पंजीकृत है, जो अधिनियम के प्रयोजनों के लिये "स्वामी" के रुप में माना जाएगा। हालांकि जहां कोई व्यक्ति नाबालिग है, वहा नाबालिग के अभिभावक को स्वामी माना जाएगा। जहां एक मोटर वाहन **किराया खरीद, पटटे या दृष्टिबंधक** के समझौते के अधीन है, उस समझौते के तहत वाहन के कब्जे वाले व्यक्ति को स्वामी माना जाता है। ऐसी स्थिति में जैसे कि वर्तमान में जहां पंजीकृत स्वामी ने वाहन को अंतरित करने का दावा किया है, लेकिन रिकार्ड में उसका नाम वाहन स्वामी के रुप में परिलक्षित होता रहता है पंजीकरण प्राधिकारी, के समक्ष वह दायित्व से मुक्त नही होगा। **संसद ने उदेश्यपूर्वक धारा 2(30) में अभिव्यक्ति "स्वामी" की परिभाषा प्रावधानित की है, जो 1939 के पहले के अधिनियम की धारा 2(19) के प्रावधानों से हटकर है। धारा 2(30) के प्रावधानों में अंर्तनिहित सिद्धांत यह है कि मोटर दुर्घटना के शिकार व्यक्ति या, मृत्यु के मामले में, मृत पीडित के कानूनी उत्तराधिकारियों को अनिश्चिचता की स्थिति मे नही छोडा जाना चाहिए। मुआवजे के दावेदार पर क्रमिक अंतरण का बोझ नही डाला जाना चाहिए, जो पंजीकरण प्राधिकारी के साथ पंजीकृत नही है अन्यथा उपधारित करना अधिनियम के हितकारी उदेदश्य और प्रयोजन को विफल करना होगा। इसलिए, काननू के उददेश्य की पूर्ति अनुसार व्याख्या की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में, प्रथम प्रत्यर्थी धारा 2(30) के अर्थ के अंतर्गत दुर्घटना में शामिल वाहन का "स्वामी" था।** मुआवजा देने का दायित्व उस पर तय हो गया है। अविवादित रुप से वाहन का बीमा नही था। उच्च न्यायालय रेशमा और पूण्र्या कला देवी मामले में इस न्यायालय के निर्णयों की गलत व्याख्या पर अग्रेषित हुए है।

22.कानून की इस स्थिति का बाद में दो न्यायाधीशों की बेंच द्वारा **प्रकाशचंद डागा** (उपरोक्त) में पालन किया गया।

23.इस न्यायालय के पूर्णनिर्णयन से जो सिद्धांत सामने आता है, वह यह है कि भले ही कानूनी रुप वाहन के स्वामित्व का अंतरण हआ, लेकिन, यह, उस व्यक्ति को तृतीय पक्ष के दायित्व से मुक्त नही करेगा जिसके नाम पर वाहन पंजीकरण प्रामण पत्र है। जब तक पंजीकृत स्वामी का नाम आरटीओ के रिकॉर्ड में पंजीकरण प्रमाण पत्र में जारी रहता है, तब तक स्वामी के रुप में वह व्यक्ति मोटर वाहन अधिनियम 1986 के अध्याय X। के तहत तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी रहेगा। उपरोक्त निर्णय इसलिए, तृतीय पक्ष के दावे को पूरा करने के लिए पंजीकृत मालिक के दायित्व से संबंधित था।

24.तृतीय पक्ष के दावे को संतुष्ट करने में वाहन के पंजीकृत स्वामी के दायित्व के संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा जिन सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है, उनका वर्तमान मामलें में कोई अनुप्रयोग नही है। इस कारण से, **कम्प्लीट इंसुलेशन (पी) लिमिटेड** (उपरोक्त) में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने ध्यान से नोट किया कि

अध्याय XI के तहत जारी बीमा पॉलिसियों के संदर्भ में तृतीय पक्ष के दावे का एक अलग स्तर है। इसलिए, यह माना गया कि यदि बीमा की पॉलिसी अन्य जोखिमों को कवर करती है, तो यह बीमाकर्ता और अंतरिती के बीच बीमा अनुबंध का मामला होगा, जिसके पक्ष मे जोखिम माना जाता है। **राजा बसिरेड्डडी (उपरोक्त),** के मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि बीमा के लिए, आवेदक की मृत्यु के बाद तक प्रीमियम रसीद की उपलब्धता और उसे बनाए रखना या पॉलिसी दस्तावेज तैयार करना मात्र ही स्वीकृति नही है, स्वीकृति का संकेत, पक्षकारों द्वारा सहमति में किसी कार्य या कार्यो द्वारा, किया जाना चाहिए जिसके आधार पर विधि की कोई उपधारणा की जा सके। इसी मामले में आगे कहा गया है कि;

> "15. हालांकि कुछ मानवीय रिश्तों में किसी प्रस्ताव पर चुप्पी, स्वीकृति का संकेत दे सकती है, लेकिन बीमा प्रस्ताव के मामले में चुप्पी स्वीकृति अथवा सहमति का संकेत नही देती है और कोई बाध्यकारी अनुबंध तब तक उत्पन्न नही होता है जब तक कि जिस व्यक्ति को जिसे प्रस्ताव दिया गया है वह अपनी स्वीकृति को दर्शाने के लिए कुछ कहता या करता नही है। केवल उत्तर देने में देरी को स्वीकृति नही माना जा सकता, क्योकि प्रथमदृष्टया, स्वीकृति के बारे में प्रस्तावक को सूचित किया जाना चाहिए। सामान्य नियम यह है कि बीमा का अनुबंध तभी संपन्न होगा जब जिस पक्ष को प्रस्ताव दिया गया है वह इसे बिना शर्त स्वीकार करता है ओर प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति को अपनी स्वीकृति के बारे में सूचित करता है....
>
> ***** ***** *****
>
> 17. बीमा प्रस्ताव की स्वीकृति के बारे में कानून में स्पष्ट स्थिति ओर इस मामले मे रिकार्ड पर मौजूद साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचने में गलती पर था कि एक बीमा अनुबंध मृतक और जीवन बीमा निगम के बीच संपन्न हुआ और उस आधार पर विदवान अधीनस्थ न्यायाधीश के निर्णय और फैसले को पलटा गया।

25.वर्तमान मामलें में, न केवल प्रीमियम की स्वीकृति हुई बल्कि पॉलिसी दस्तावेज जारी किया गया। बीमाकर्ता को अंतरण की जानकारी तब हुई, जब बैंक ने उसे ग्रहणाधिकार हटाने की सूचना दी।

26.वर्तमान मामले में न्यायालय एक ऐसी स्थिति से निपट रहा है, जहां वाहन के अंतरण के बाद बीमाकर्ता को उस बैंक द्वारा विशेष रुप से सूचित किया गया था जिसके पास बीमा पॉलिसी पर ग्रहणाधिकार था और उसने दृष्टिबंधक समझौते के समाप्ति उपरांत विशेष रुप से बीमाकर्ता को सूचित किया। जिसके उपरांत बीमाकर्ता द्वारा बीमा की एक पॉलिसी जारी की गई। अविवादित रुप से प्रीमियम का भुगतान अपीलकर्ता द्वारा किया गया था। तृतीय प्रत्यर्थी ने वाहन के नुकसान के संबंध में कोई दावा नही किया क्योकि वाहन को बकाया भुगतान में चूक के कारण बैंक द्वारा पहले ही उससे वापस कब्जा ले लिया जाकर वाहन विक्रय कर दिया गया था। बीमाकर्ता, अपीलकर्ता के दावे को यह कहकर अस्वीकार नही कर सकता कि उसका दायित्व तृतीय प्रत्यर्थी के प्रति है, जिसका वाहन के स्वामित्व में कोई स्थायी हित नही है। अपीलकर्ता ने तृतीय प्रत्यर्थी के अधीन किसी भी दावे के खिलाफ, बीमाकर्ता को, क्षतिपूर्ति देने का बचन दिया है।

27.वाहन का अंतरण विवादित नही है।

28.बीमाकर्ता ने बीमा दावे को अस्वीकार करने के लिए एक ऐसा आधार अपनाया जो स्वीकार योग्य नही था। वाहन की हानि, नीलामी खरीद, की तारीख के करीब हुई। हम, 2,42,000 रूपये की राशि के दावे के भुगतान की

अनुमति देते है, जिस पर अपीलार्थी दावा दायर करने की तारीख से भुगतान तारीख तक 9 प्रतिशत, प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार होगा।

29.उपरोक्त शर्तो के साथ अपील स्वीकार की जाती है। व्यय राशि के संबंध में कोई आदेश नही दिया जा रहा है।

[1] आरती ए. शुक्ला अपील स्वीकार

---

1 एनसीडीआरसी
2 जिला फोरम
3 एससीडीआरसी
4 बैंक
5 1988 का अधिनियम
6 1984 एससीजे 345 (1)
7 (1996) 1 एससीसी 221
8 (2019) 1 स्केल 2
9 (2018) 3 एससीसी 1
10 (2001) 8 एससीसी 748
11 (2008) 17 एससीसी 624
12 (2011) 2 एससीसी 240